FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम बायतु

सदानाराम बनाम सरकार राज वगैरह

किस्म मुकदमा 136 [illegible] नं. 12/2020 सन

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.01.2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री नरपत [illegible] ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 136 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 04.02.2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	
04/02/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील होकर तामील प्राप्त। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्य में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 11/02/2020 को पेश हो।	
11/02/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या-4 तहसीलदार बायतु को नोटिस तामील शुदा प्राप्त। विप्रार्थी संख्या-1 के द्वारा प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में सहमती पत्र पेश किया गया तथा प्रार्थी स्वयं द्वारा शपथ-पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी वकील द्वारा विप्रार्थी संख्या-2 व 3 को तर्क किया गया जिनसे कोई [illegible] नहीं चाही गई हक; वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 08/04/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	विप्रा० सं० 2 व 3 [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 17:24:23 IST
Reason: SelfAttested

08/04/2020 पत्रावली आज पेश हुई। कोविड-2019 के चलते कोई नहीं लिया गया। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्य में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर आगामी दिनांक ~~08/04/2020~~ 10/06/2020 को पेश हो।

10/06/2020 प्रार्थी वकील व प्रार्थी संख्या-1 तथा विप्रार्थी संख्या-1 स्वयं उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की एडमिशन बहस सुनी गई प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश अलग से लिखा गया व शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर के बाद दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 17:24:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व आवेदन संख्या 12/2020

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
सत्यनारायण पुत्र मुलाराम जाति–ब्राहमण, निवासी–चेनाणियों की ढाणी, हरखाली, तहसील–बायतु जिला–बाड़मेर		1. बगताराम पुत्र हड़मानराम 2. बिरमाराम पुत्र जसुराम 3. सुआदेवी पत्नी मूलाराम जातियान–ब्राहमण, निवासीयान–चेनाणियों की ढाणी, हरखाली, तहसील–बायतु जिला–बाड़मेर 4. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, बायतु

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956.

उपस्थित :– 1. श्री नरपत पूनड़ वकील प्रार्थी

निर्णय

दिनांक : 10·6·2020

प्रार्थी सत्यनारायण पुत्र मुलाराम जाति–ब्राहमण, निवासी–चेनाणियों की ढाणी, हरखाली की ओर से वकील श्री नरपत पूनड़ द्वारा रेकर्ड दुरस्ती का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया।

प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा लुनाड़ा पटवार मण्डल बाटाडू तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 1550/779 रकबा 39.11 बीघा व मौजा चैनाणियों की ढाणी पटवार मण्डल हरखाली के खेत खसरा नम्बर 791/448, 789/296 रकबा क्रमशः 3.06, 14.12 बीघा का आया हुआ है जिसमें प्रार्थी का नाम सताराम दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम सत्यनारायण है।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर, विप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। विप्रार्थीगण संख्या 5 तहसीलदार बायतु का सम्मन तामिल शुदा प्राप्त। विप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया है। विप्रार्थीगण संख्या 2 से 3 की ओर से कोई इस्तदुआ नहीं चाहे जाने से औपचारिक पक्षकार बनाये गये है।

पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों व विप्रार्थी संख्या 1 के साक्ष्य शपथ पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आराजी में प्रार्थीगण का नाम भूलवंश सत्यनारायण के स्थान पर सताराम दर्ज हो गया। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.स.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्व प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जानी है)
1	लुनाड़ा	162	1550/779	सताराम वल्द मुलाराम	सत्यनारायण वल्द मुलाराम
2	चैनाणियों की ढाणी	92	791/448	सताराम वल्द मुलाराम	सत्यनारायण वल्द मुलाराम
3	चैनाणियों की ढाणी	43	789/296	सताराम वल्द मुलाराम	सत्यनारायण वल्द मुलाराम

तहसीलदार, बायतु आदेशानुसार राजस्व रैकर्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 10·6·2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.6.2020

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 17:24:23 IST
Reason: SelfAttested